



कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खण्डवा (म.प्र.)

दूरभाष क (0733)-2223244 फेक्स क (0733) 2224531 ई-मेल dfot.khd@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / एफसीए / 2019 / 934
प्रति,

खंडवा, दिनांक 17-3-19

कार्यपालन यंत्री
नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 23
59, अरेरा हिल्स नर्मदा भवन भोपाल

विषय:- मोरण्ड-गंजाल सयुक्त सिंचाई परियोजना से प्रभावित वनक्षेत्र के लिए वन व्यपवर्तन प्रकरण पृथम चरण भाग-दो के संबंध में।

संदर्भ:- ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/IRRIG/36231/2018

—000—

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि मोरण्ड-गंजाल सयुक्त सिंचाई परियोजना से प्रभावित वनक्षेत्र के लिए वन व्यपवर्तन प्रकरण पृथम चरण भाग-दो के संबंध में प्रभावित वनभूमि 2371.14 हे. वनभूमि में गैरवनभूमि 60.00 हे. खण्डवा जिले की दर्शाई गई है। प्रस्ताव की हार्डकॉपी वनमण्डल में प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रभावित गैरवनभूमि 60.00 हे. राजस्व अभिलेखों में छोटे-बड़े झाड़ जंगल मद के रूप में दर्ज न होने के संबंध में राजस्व विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत करें, साथ ही प्रस्तावित गैरवनभूमि के संयुक्त निरीक्षण कराने हेतु अधीनस्थों को निर्देशित करने का कष्ट करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(सजीव झा)

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल खण्डवा
खंडवा, दिनांक 17-3-19

पृष्ठांकन क्रमांक / मा.चि. / एफसीए / 2019 / 935
प्रतिलिपि :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर जिला खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) सनावद, जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 4- अधीक्षण यंत्री, नर्मदा विकास मण्डल क्रमांक-08 सनावद, जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल खण्डवा